न्यायालय अपर जिला कलक्टर, अजमेर

राजस्व अपील संख्या 76/2023

श्री भवंरलाल दत्तक पुत्र स्व. श्री कल्याणमल उर्फ कल्ला जाति ब्राह्मण, निवासी ग्राम भोगादीत तहसील अंराई जिला अजमेर।

.....*अपीलान्ट*

बनाम

1. श्रीमती सूजा पत्नी स्व. श्री हरजी जाट जाति जाट निवासी ग्राम भोगादीत तहसील अंराई जिला अजमेर।
2. तहसीलदार, तहसील अंराई जिला अजमेर
3. उप पंजीयक, पंजीयन कार्यालय, अंराई जिला अजमेर।

.....अप्रार्थीगण

(अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध तहसीलदार अंराई जिला अजमेर द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 2178 दिनांक 31.10.2023)

उपस्थित :– 1. श्री शान्ति प्रकाश ओझा, वकील अपीलान्ट।
2. श्री ओमप्रकाश गुर्जर, राजकीय अभिभाषक।

–: आदेश :–

दिनांक :– 10.10.2025

संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार से है कि यह अपील, तहसीलदार अंराई जिला अजमेर द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 2178 दिनांक 31.10.2023 से व्यथित होकर प्रस्तुत की है।

श्रीमती फूला पत्नी स्व. श्री कल्ला निवासी ग्राम भोगादीत तहसील किशनगढ़ (वर्तमान में तहसील अंराई) जिला अजमेर ने ग्राम भोगादीत स्थित आराजी खाता संख्या 405 नवीन के खसरा नम्बर 191, 193, 194, 195 व 199 कुल किता 05 कुल रकबा 27–09–00 बीघा में से अपने हिस्से 1/6 भाग की सम्पूर्ण भूमि (पूरा हिस्सा) तथा खाता संख्या 405 नवीन के खसरा नम्बर 197 व 3771 कुल किता 02 कुल रकबा 17–12–00 बीघा में से अपने हिस्से 1/3 भाग की सम्पूर्ण भूमि (पूरा हिस्सा) जरिये पंजीकृत विक्रयपत्र दिनांक 17.12.2012 को श्रीमती सूजा पत्नी स्व. श्री हरजी जाट निवासी ग्राम भोगादीत तहसील अंराई को विक्रय कर दी। उक्त पंजीकृत विक्रयपत्र के आधार पर तहसीदार अंराई ने नामान्तरकरण संख्या 2178 दिनांक 31.10.2023 स्वीकृत कर श्रीमती फूला द्वारा श्रीमती सूजा को विक्रय की गयी भूमि का राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद कर दिया।

उक्त नामान्तकरण सं 2178 दिनांक 31.10.2023 के विरूद्ध अपीलान्ट द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी। अपील के साथ अपीलान्ट द्वारा स्थगन प्रार्थनपत्र, प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम (परिसीमा अधिनियम), प्रस्तुत कियां। वकील अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत स्थगन आदेश पर उन्हें एकपक्षीय सुना जाकर नामा. सं 2178 दिनांक 31.10.2023 में वर्णित विवादित आराजी खसरा नम्बर 191, 193, 194, 195, 199 रकबा 4.4415है0 (27–09–00 बीघा) में अप्रार्थिया संख्या 01 का हिस्सा 1/6 भाग तथा खसरा नम्बर 197, 371 रकबा 2.8477है0 (17–12–00

न्यायालय अपर जिला कलक्टर अजमेर

अपर कलक्टर,
अजमेर

बीघा) में से अप्रार्थिया संख्या 01 का 1/3 भाग को विक्रय नहीं करने व राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति आगामी तारीख पेशी तक बनाये रखने के आदेश दिये गये।

अपील पेश होने पर अधीनस्थ न्यायालय का संबंधित रेकार्ड मंगवाया गया व रेस्पोन्डेन्ट्स के नाम नोटिस जारी किये गये। तत्पश्चात पत्रावली बहस हेतु निश्चित की गई। अप्रार्थी संख्या 1 व 3 बावजूद सूचना निरन्तर अनुपस्थित रहे तथा अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से किसी प्रकार का लिखित प्रत्युत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः प्रकरण में एकपक्षीय कार्यवाही की जाकर प्रकरण के निस्तारण किये जाने का निर्णय लिया गया।

हमने वकील अपीलान्ट की बहस सुनी। वकील अपीलान्ट्स ने अपील में उठाये गये बिन्दुओं की पुष्टि करते हुए व्यक्त किया कि तहसीलदार अंराई द्वारा पंजीकृत विक्रयपत्र दिनांक 17.12.2012 के आधार पर विवादित आराजी खसरा नम्बर 191, 193, 194, 195, 199 रकबा 4.4415है0 (27–09–00 बीघा) में अप्रार्थिया संख्या 01 का हिस्सा 1/6 भाग तथा खसरा नम्बर 197, 371 रकबा 2.8477है0 (17–12–00 बीघा) में से अप्रार्थिया संख्या 01 का 1/3 भाग, नामा. संख्या 2178 दिनांक 31.10.2023 से अप्रार्थिया के पक्ष में अमलदरामद कर दिया। विवादित आराजी के सम्बन्ध में अपीलान्ट द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अंराई में वाद अन्तर्गत 53, 88 व 188 बाबत खातेदारी घोषणा, स्थायी निषेद्याज्ञा व विभाजन का विचाराधीन है, जिसकी जानकारी अप्रार्थी संख्या 2 को होने के बावजूद उनके द्वारा आक्षेपित नामान्तरकरण को स्वीकृत किया गया। उक्त नामान्तरकरण स्वीकृत करने से पूर्व अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर भी नहीं दिया गया।

उन्होने यह भी कथन किया कि ग्राम भोगादीत के खसरा नम्बर 191, 193, 194, 195, 199 रकबा 4.4415है0 (27–09–00 बीघा) में अपीलान्ट की माता श्रीमती फूला का 1/6 भाग तथा खसरा नम्बर 197, 371 रकबा 2.8477है0 (17–12–00 बीघा) में से अपीलान्ट की माता श्रीमती फूला 01 का 1/3 भाग है। अपनी माता श्रीमती फूला के हिस्से के आधे भाग को अपना हिस्सा घोषित करवाने हेतु अपीलान्ट द्वारा वाद अन्तर्गत धारा 88, 53 व 188 (प्रकरण सं 37/2011) उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़ के समक्ष प्रस्तुत किया तथा उक्त वाद के साथ ही प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 212 आर टी ए (प्रकरण संख्या 27/2011) भी प्रस्तुत किया। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़ द्वारा प्रार्थनापत्र संख्या 27/2011 अन्तर्गत धारा 212 को दिनांक 26.09.2012 को स्वीकार कर अप्रार्थी श्रीमती फूला को बेचान करने व अन्य अप्रार्थीगण को अपीलान्ट की कब्जे काश्त में हस्तक्षेप नहीं करने हेतु पाबन्द किया। इसके बावजूद भी श्रीमती फूला ने दिनांक 17.12.2012 को अपना सम्पूर्ण हिस्सा, अप्रार्थिया संख्या 1 श्रीमती सूजा को विक्रय किया। इसके विरूद्ध अपीलान्ट द्वारा अवमानना प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 2ए सीपीसी (प्रार्थनापत्र संख्या 24/2013) प्रस्तुत किया, जो कि वर्तमान में भी न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अंराई में विचाराधीन है।उ॰ उन्होने यह भी कथन किया कि वाद सं 37/2011 के विचाराधीन रहते हुए श्रीमती फूला ने प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी प्रस्तुत किया, जिसे निर्णय दिनांक 27.03.2014 को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़ ने स्वीकार करते मूल वाद को खारिज कर दियां। उक्त निर्णय के विरूद्ध अपीलान्ट द्वारा न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर में अपील संख्या 138/2014 उनवान भंवरलाल बनाम श्रीमती फूला प्रस्तुत की, जिसे न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 31.07.2019 को स्वीकार कर निर्णय दिनांक 27.03.2014 को निरस्त कर पुनः अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया कि उभयपक्ष को साक्ष्य, सबूत एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर वाद को गुणावगुण पर निर्णित करे। उन्होने यह भी कथन किया कि रिमाण्ड पश्चात वाद वर्तमान में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अंराई में विचाराधीन है तथा अस्थायी निषेद्याज्ञा दिनांक 26.09.2012 भी प्रभावी है। उपरोक्त बिन्दुओं के आधार पर उन्होने तहसीलदार अंराई द्वारा स्वीकृत किये गये

न्यायालय अपर जिला कलक्टर अजमेर

अपर कलक्टर,
अजमेर

नामा. सं 2178 दिनांक 31.10.2023 को निरस्त करने व वाद के निर्णय तक नामा. की कार्यवाही को निरस्त करने का निवेदन किया।

हमने बहस पर ध्यानपूर्वक मनन किया तथा लिखित बहस एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि ग्राम भोगादीत तहसील अंराई स्थित विवादित आराजी खसरा नम्बर 197 व 371 कुल किता 02 कुल रकबा 17–12–00 बीघा स्व. श्री सूरजमल की खातेदारी भूमि थी। इसी प्रकार ग्राम भोगादीत के खसरा नम्बर 191, 193, 194, 195 व 199 कुल किता 05 कुल रकबा 27–09–10 बीघा श्री सूरजमल तथा श्री अमरचन्द व श्री रामेश्वर पुत्रगण श्री गोविन्दराम की संयुक्त खातेदारी भूमि है। श्री सूरजमल की मृत्यु पश्चात विरासत से खसरा नम्बर 197 व 371 कुल किता 02 कुल रकबा 17–12–00 बीघा में श्रीमती फूला पत्नी स्व. श्री कल्याणमल हिस्सा 1/3 भाग तथा खसरा नम्बर 191, 193, 194, 195 व 199 कुल किता 05 कुल रकबा 27–09–10 बीघा में श्रीमती फूला पत्नी स्व. श्री कल्याणमण का हिस्सा 1/6 भाग बना। विक्रयपत्र दिनांक 17.12.2012 अनुसार श्रीमती फूला ने अपने हिस्से की भूमि का ही विक्रय अप्रार्थी संख्या 1 श्रीमती सूजा को किया है। अपीलान्ट ने कथन किया है वे श्री हीरालाल के पुत्र है परन्तु गोदनामा दिनांक 26.06.1979 से वे श्री कल्याणमल के दत्तक पुत्र है तथा स्व. श्री कल्याणमल के अन्य कोई संतान नहीं होने के कारण गोदनामा के आधार पर दत्तक पुत्र होने के नाते विवादित आराजी में से श्रीमती फूला के हिस्से की भूमि के आधे भाग के खातेदारी अधिकार दिलवाने हेत उनके द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी में वाद प्रकरण सं 37/2011 अन्तर्गत धारा 88, 53 व 188 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़ में प्रस्तुत किया, जिसे न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 27.03.2014 को निरस्त कर दिया। उक्त निर्णय दिनांक 27.03.2014 के विरूद्ध श्री भंवरलाल द्वारा न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर में प्रस्तुत अपील संख्या 138/2014 को माननीय न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 31.07.2019 से आंशिक स्वीकार कर प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया है परन्तु अपीलान्ट द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है जिससे यह स्पष्ट हो सके कि निर्णय दिनांक 31.07.2019 के विरूद्ध वर्तमान में किस न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन है तथा इसकी प्रासिथति क्या है। यह भी स्पष्ट है कि विक्रयपत्र दिनांक 17.12.2012 के द्वारा श्रीमती फूला ने अपने हिस्से की भूमि का ही विक्रय किया है। श्री भंवरलाल ने विवादित आराजी में श्रीमती फूला के हिस्से की भूमि के आधे भाग की खातेदारी प्राप्त करने के लिए पूर्व में भी न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़ मे वाद संख्या 40/2011 प्रस्तुत किया था जिसे न्यायालय में निरस्त कर दिया। इसी प्रकार विक्रयपत्र को निरस्त करवाने हेतु अपीलान्ट न्यायालय अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश किशनगढ़ में प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 सीपीसी प्रस्तुत किया जिसे माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 08.10.2013 को निरस्त कर दिया। अपने निर्णय में माननीय न्यायालय ने यह माना है कि श्री भंवरलाल, श्री हीरालाल के ही पुत्र है तथा उनके सभी दस्तावेजों व राजकीय सेवा के सेवा रिकॉर्ड में भी श्री हीरालाल का ही नाम अंकित है न कि श्री कल्याणमल का।

पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा यह साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है कि पूर्व में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़ द्वारा राजस्व प्रार्थनापत्र संख्या 27/2011 अन्तर्गत धारा 212 में दी गयी निषेद्याज्ञा दिनांक 26.09.2012 वर्तमान में भी प्रभावी है या नहीं। अपीलान्ट द्वारा यह अपील, तहसीलदार अंराई द्वारा स्वीकृत किये गये नामान्तरकरण संख्या 2178 दिनांक 31.10.2023 के विरूद्ध प्रस्तुत की है न कि निर्णय दिनांक 26.09.2012 के विपरीत श्रीमती फूला द्वारा निष्पादित कराये गये विक्रयपत्र दिनांक 17.12.2012 के विरूद्ध। श्री भंवरलाल द्वारा अपने समर्थन में रजिस्टर्ड गोदनामा, उत्तराधिकारी प्रमाणपत्र व जमाबन्दी की प्रति (जिसमें कल्याणमल की विरासत में भंवरलाल का नाम आया हो) प्रस्तुत नहीं की है।

न्यायालय अपर जिला कलक्टर अजमेर

अपर कलक्टर,
अजमेर

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी श्री भंवरलाल द्वारा प्रस्तुत अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 (विरूद्ध तहसीलदार अंराई द्वारा स्वीकृत 2178 दिनांक 31.10.2023) को निरस्त किया जाकर तहसीलदार अंराई द्वारा स्वीकृत किये गये नामान्तरकरण संख्या 2178 दिनांक 31.10.2023 को यथावत रखा जाता है।

आदेश आज दिनांक 10.10.2025 को मेरे द्वारा सरे इलियाज सुनाया गया।

(ज्योति ककवानी)
अपर कलक्टर, अजमेर
अजमेर